



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मदरसा परीक्षा - 2012 के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञापित संख्या - 76/2011

एतद् द्वारा मदरसा परीक्षा - 2012 के लिए पंजीकृत होने वाले सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि सादा पंजीयन आवेदन प्रपत्र "झारखण्ड अधिविद्य परिषद्" कार्यालय राँची से तथा संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसा "क्षेत्रीय कार्यालय" दुमका से दिनांक 28.07.2011 से 30.07.2011 तक प्राप्त कर लें।

पंजीयन आवेदन पत्र जमा करने का कार्यक्रम

प्रमण्डल का नाम	भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि			
	बिना विलम्ब शुल्क के		विलम्ब शुल्क सहित	
	मदरसा में	परिषद् में	मदरसा में	परिषद् में
सभी प्रमण्डल	05.09.11 से 11.09.11 तक	12.09.11 से 13.09.11 तक	12.09.11 से 14.09.11 तक	15.09.11 से 17.09.11 तक

* संथाल परगना प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में जमा होगा।

शुल्क

- (क) पंजीयन आवेदन प्रपत्र रु. 40/- प्रति आवेदन पत्र
(ख) पंजीयन शुल्क (नियमित के लिए) रु. 70/- प्रति छात्र
(ग) अनुमति शुल्क Non-Collegiate के लिए रु. 200/- प्रति छात्र
(घ) पंजीयन विलम्ब शुल्क रु. 150/- प्रति छात्र
(ङ) विविध शुल्क - रु. 20/- प्रति छात्र

विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" राँची के नाम देय एवं भुगतये तथा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" दुमका के नाम देय एवं भुगतये होगा।

- वर्ग वस्तानियाँ में केवल (Regular) नियमित छात्र/छात्राओं का पंजीयन होगा।
- वर्ग वस्तानियाँ के लिए आयु सीमा 12 वर्ष, फौकानियाँ के लिए 14 वर्ष एवं मौलवी के लिए 16 वर्ष होना अनिवार्य है। वस्तानियाँ के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं की जन्म तिथि दिनांक 01-09-2000 तक होनी चाहिए उसके बाद की जन्म तिथि वाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही सभी मदरसा प्रधानों को निर्देशित करते हुए कहना है कि छात्रों की वास्तविक जन्म तिथि ही अंकित करें अन्यथा जन्म तिथि में गड़बड़ी पाये जाने पर मदरसा प्रधानों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में हैं, जिसमें श्वेत-श्याम (Black & White) फोटो ही चिपकावें। आवेदन प्रपत्र के पहले भाग (कार्यालय प्रति) के फोटो मदरसा प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित होगा तथा दूसरे भाग (कम्प्यूटर प्रति) के फोटो बिना अभिप्रमाणित तथा बिना मुहर का ही रहेगा।
- फोटो के बाक्स के नीचे दिए छोटे बाक्स में ही छात्र को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र काली स्याही से ही भरे जायेंगे।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र ओवर राइटिंग, काट-छाँट होने तथा मदरसा प्रधान के हस्ताक्षर के स्थान पर Facsimile उपयोग करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परिषद् से अनुमति लेना अनिवार्य है। जिसका डाटा अलग तैयार करना है। Non-Collegiate छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय न्यायालय द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि इस बीच किसी अन्य संस्था से शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय एवं आचरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- पंजीयन आवेदन प्रपत्र निःशुल्क दी जाएगी परन्तु पंजीयन आवेदन प्रपत्र का निर्धारित शुल्क भरे हुए पंजीयन आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक होगा। बचे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र को विवरणी के साथ परिषद् कार्यालय में वापस किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा उसका निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- मदरसा परीक्षा, 2012 के वस्तानियाँ परीक्षा के लिए वर्ष 2009 के पंजीयन को मान्यता दी जाएगी। 2009 के पूर्व के परीक्षार्थियों को पुनः पंजीयन (Re-Registration) करवाना अनिवार्य होगा। अगर वर्ष 2009 के पूर्व के पंजीयन के आधार पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी मदरसा प्रधान की होगी।
- डाक द्वारा भेजा गया पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(यमुना गिरि)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11/SECY/381/2011

Dt. 26.07.11

D.O.P : 27.07.11